

संसद में प्रस्ताव

हाल ही में एक सांसद ने मणपुर में जातीय हिसा पर तत्काल चर्चा की आवश्यकता का हवाला देते हुए [लोकसभा](#) में [स्थगन प्रस्ताव](#) पेश किया।

- यह प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में किसी सदस्य द्वारा **किसी मामले पर चर्चा शुरू** करने के लिये दिया गया एक **औपचारिक प्रस्ताव** है।

संसद में प्रयुक्त विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव:

■ स्थगन प्रस्ताव:

- स्थगन प्रस्ताव **अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्त्व के एक नश्चिन्ता मुद्दे पर चर्चा करने** के लिये प्रस्तुत किया जाता है तथा **अध्यक्ष की सहमति** से तत्काल चर्चा का विषय होना चाहिये।
- इस प्रस्ताव के लिये **50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है**। चूँकि यह सदन के सामान्य कामकाज में बाधा डालता है, इसलिये इसे एक असाधारण उपकरण माना जाता है।
- यह प्रस्ताव **लोकसभा में उपलब्ध है लेकिन राज्यसभा में नहीं**।
- यह ध्यान रखना महत्त्वपूर्ण है कि **स्थगन प्रस्ताव पारित होने पर सरकार को इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं** होती है लेकिन इसे **सरकार की कड़ी नज़र** माना जाता है।

■ समापन प्रस्ताव:

- यह **सदन के समक्ष किसी मामले पर चर्चा को समाप्त करने के लिये एक** सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव है। यदि प्रस्ताव को सदन द्वारा स्वीकृति दी जाती है, तो चर्चा तुरंत रोक दी जाती है और मामले को मतदान के लिये रखा जाता है।

■ मतदान की आवश्यकता के साथ प्रस्ताव:

- इस प्रकार का प्रस्ताव **लोकसभा में नियम 184** के तहत लाया जाता है। यह एक **वशिष्ट प्रश्न पर मतदान के साथ चर्चा** की अनुमति देता है और मतदान का परिणाम इस मुद्दे पर संसद की स्थिति निर्धारित करता है।
- यदि ऐसा प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो **यह सरकार को इस मामले पर संसद के नरिणय का पालन करने के लिये बाध्य करता है**।
- हालाँकि मतदान वाले प्रस्ताव **अपेक्षाकृत दुर्लभ होते हैं** और आमतौर पर महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय महत्त्व के मामलों के लिये आरक्षणित होते हैं।

■ अल्पावधि चर्चा:

- **लोकसभा के नियम 193** और राज्यसभा के नियम 176 के अंतर्गत छोटी अवधि की चर्चा हो सकती है।
- छोटी अवधि की चर्चा **सांसदों को सार्वजनिक महत्त्व के किसी वशिष्ट मुद्दे पर मतदान किये बिना चर्चा करने की अनुमति देती है**। यह चर्चा आमतौर पर एक नश्चिन्ता अवधि के लिये होती है और दो घंटे से अधिक नहीं होती है।
- ऐसी चर्चाओं का उद्देश्य महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करना और बिना कोई औपचारिक नरिणय लिये विविध दृष्टिकोणों को सुनने की अनुमति देना है।

■ अवशिवास प्रस्ताव:

- यह सरकार के प्रति विश्वास को परखने के लिये **लोकसभा (राज्यसभा में नहीं) में प्रस्तुत किया गया एक प्रस्ताव है**।
- प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिये **50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है**।
- यदि **अवशिवास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो सरकार को इस्तीफा देना होगा**।
- अवशिवास प्रस्ताव एक महत्त्वपूर्ण राजनीतिक घटना है जो आमतौर पर तब घटित होती है जब यह धारणा बनती है कि सरकार बहुमत का समर्थन खो रही है।

■ विश्वास प्रस्ताव:

- यह तब पारित किया जाता है जब **बहुत कम बहुमत के साथ बनी सरकारों को राष्ट्रपति द्वारा सदन में अपना बहुमत साबित करने के लिये बुलाया जाता है**।
- परिच्छेद सरकार के शासन करने के नरितर अधिदेश को इंगित करता है।

■ विशेषाधिकार प्रस्ताव:

- एक सदस्य इस प्रस्ताव को सदन में तब प्रस्तुत कर सकता है जब उसे लगता है कि **किसी मंत्री ने किसी मामले के बारे में महत्त्वपूर्ण जानकारी रोककर अथवा गलत या हेरफेर किये गए तथ्य के साथ सदन या उसके सदस्यों के विशेषाधिकारों का उल्लंघन किया है**।
- इस प्रस्ताव का प्राथमिक उद्देश्य **संबंधित मंत्री के कार्यों पर अस्वीकृत वियक्त करना तथा आलोचना करना है**।

■ धन्यवाद प्रस्ताव:

- लोकसभा की कार्यवाही प्रारंभ होने पर **राष्ट्रपति के अभिषेक** पर आभार व्यक्त करना संसदीय प्रक्रिया है।

- चर्चा के अंत में प्रस्ताव को मतदान के लिये रखा जाता है। इस प्रस्ताव को सदन में पारित किया जाना चाहिये, अन्यथा यह सरकार की पराजय माना जाएगा।
- कटौती प्रस्ताव:
 - **बजट में मांग** की राशिकिम करने का प्रस्ताव।
 - लोकसभा द्वारा उनका पारित होना सरकार में संसदीय विश्वास की कमी की अभिव्यक्ति है और इसके कारण उसे त्यागपत्र देना पड़ सकता है।

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/motions-in-parliament>

